रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 100] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 7, 1984/फाल्गुन 17, 1905
No. 100] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 7, 1984/PHALGUNA 17, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय

(नागरिक पूर्ति विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 1984

का. आ. 151(अ) :—केन्द्रीय सरकार, अग्रिम संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1952 (1952 का 74) की धारा 5 के अधीन आन्ध्र प्रदेश काटन एसोसियेशन, गुंटूर द्वारा मान्यता के नवीकरण के लिए किये गये आवेदन पर बायदा बाजार आयोग के परामर्श से विचार करके और यह समाधान हो जाने पर ऐसा करना व्यापार के हित में और लोकहित में भी होगा, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त एसोसियेशन को कपास की अग्रिम संविदाओं के बारे में 6 मार्च, 1987 को समाप्त होने वाले तीन वर्षों की अतिरिक्त कालावधि के लिए मान्यता प्रदान करती है ।

2. एतद्द्वारा प्रदत्त मान्यता इस शर्त के अध्याधीन है कि उक्त एसोसियेशन ऐसे निदेशों का अनुपालन करेगा जो वायदा बाजार आयोग द्वारा समय-समय पर दिए जाएं ।

[मिसिल सं. 12(5)-आई.टी./82]
डी. के. सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FOOD & CIVIL SUPPLIES

(Department of Civil Supplies)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 1984

S.O. 151(E).—The Central Government, having considered in consultation with the Forward Markets Commissions, the application for renewal of recognition made under section 5 of the Forward Contracts (Regulation) Act, 1972 (74 of 1952), by the Andhra Pradesh Cotton Association, Guntur, and being satisfied that it would be in the interest of the trade and also is the public interest so to do, hereby grants, in exercise of the powers conferred by section 6 of the said Act, recognition to the said Association for a further period of three years ending the 6th March, 1987, in respect of forward contracts in cotton.

2. The recognition hereby granted is subject to the condition that the said Association shall comply with such directions as may, from time to time, be given by the Forward Markets Commission.

[F. No. 12(5)-IT[82]
D. K. SINGH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054. 1984